भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

2513. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में बागपत जिले सहित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है तथा योजना की शुरुआत से अब तक कुल कितना क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित तथा उपयोग की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा लाभान्वित किसानों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किसानों द्वारा पानी के उपयोग दक्षता में सुधार लाने तथा सतत सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता तथा किसानों की आय पर पीएमकेएसवाई के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) नामक दो प्रमुख घटक शामिल हैं, जिन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के आरंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समानांतर रूप से कार्यान्वित करने के लिए शामिल किया गया था।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया गया है। हालाँकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत भूजल घटक की स्वीकृति अनंतिम रूप से वर्ष 2021-22 तक केवल प्रतिबद्ध दायित्वों के लिए दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ-साथ, प्रति बूंद अधिक फसल घटक, जो पहले पीएमकेएसवाई का एक घटक था, अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई का घटक**	**उत्तर प्रदेश राज्य में वास्तविक प्रगति**
1.	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी और डब्ल्यूएम	उत्तर प्रदेश में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत चार (04) परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं अर्थात् बाणसागर नहर परियोजना, सरयू नहर (एनपी) परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना और मध्य गंगा नहर चरण- II परियोजना। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत कार्यान्वित किसी भी परियोजना से उत्तर प्रदेश के बागपत जिले को लाभ नहीं मिल रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से कुल 7.67 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और 21.71 हजार हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।
2.	पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर	पीएमकेएसवाई के इस घटक के अंतर्गत 2.35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है
3.	पीएमकेएसवाई-जीडब्ल्यू	14,752 कुएं बनाए गए हैं और 36.36 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को भूजल सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।
4.	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक 20,307 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनुरुद्धार किया गया और 1.05 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। इसके साथ-साथ, उत्तर प्रदेश राज्य को वर्ष 2021-22 में 2.64 लाख

		हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 56 परियोजनाओं (बागपत में 02 परियोजनाएं) को स्वीकृति दी गई है।
5.	पीडीएमसी	सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 477 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(ख): पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रदान की गई केंद्रीय सहायता और लाभार्थियों की अनुमानित संख्या निम्नवत है।

क्र.सं.	**पीएमकेएसवाई का घटक**	**प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (रुपए करोड़ रूपए में)**				**लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या**
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	
1.	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	0.00	23.90	0.00	0.00	43,22,751
2.	पीएमकेएसवाई-जीडब्ल्यू	0.00	10.00	0.00	0.00	15,252
3.	पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	21.78	0.00	86.20	54.64	1,11,963
4.	पीडीएमसी	150.00	149.25	133.49	173.87	3,04,551

(ग): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन (यूजीपीएल), एससीएडीए आधारित सिंचाई और सटीक सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत लगभग 55,290 किलोमीटर यूजीपीएल के वितरण नेटवर्क के निर्माण से, लगभग 76,594 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण से बचाया गया है और जल उपयोग दक्षता में वृद्धि हुई है। देश में पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत 96.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया जा चुका है।

(घ): नीति आयोग के अंतर्गत विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन किया है। पीएमकेएसवाई के अधिकांश घटकों को कार्यनिष्पादन की प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभाव और इक्विटी मापदंडों के संदर्भ में संतोषजनक माना गया है।

*****